भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-322

उत्तर दिनांक - 28/11/2024 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा

322. डा. सिकंदर कुमार

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में गैर-सरकारी कंपनियों की भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा 'कैप्टिव' परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए हल्के रिएक्टर का उपयोग करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(घ) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा, जिए स्वच्छतर ईंधन माना जाता है और जिसकी भारत के निवल शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है, को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यमों को सक्षम करने हेतु सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 2015 में संशोधन किया है।

(ग) स्व-उत्पाद (कैप्टिव) विद्युत उत्पादन में संभावित उपयोग के लिए साधारण जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित एक भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर) विकसित किया जा रहा है।

(घ) हां।

*****